आकाशवाणी केन्द्र शिमला

02.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा–गग्गल एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य इस वर्ष के अंत तक होगा पूरा।
- विधानसभा सदस्यों के भत्ते व पैंशन संशोधन विधेयक– 2026 सदन में ध्वनिमत से पारित दल–बदल कानून के तहत अयोग्य विधायक पैंशन से पूरी तरह वंचित।
- प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित–लगभग 90 घंटे चली सदन की कार्यवाही।
- एंट्री टैक्स को लेकर प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स दरों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना की जारी।
- मुख्यमंत्री ने आई.जी.एम.सी. शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का किया उद्घाटन–प्रदेश में पहली बार सरकारी पैट स्कैन की सुविधा शुरू।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया है और गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा किया जाएगा। शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक पवन काजल के मूल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक सुधीर शर्मा, केवल सिंह पठानिया और विपिन सिंह परमार के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को अभी तक एक हजार 9 सौ 60 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दी गई है। जबकि एक हजार 5 सौ करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देना बाकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 हजार 5 सौ करोड़ का मुआवजा भूमि अधिग्रहण के लिए दिया जाएगा। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने नियमों के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया है। विधायक कमलेश ठाकुर और संजय रत्न के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार एक ठेकेदार को एक या 2 ही काम दिए जाने पर आगे बढ़ेगी।

विधेयक पारित

प्रदेश में दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए दो विधेयक पेंशन से पूरी तरह वंचित कर दिए गए हैं। इनमें गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो शामिल है। इसके अलावा रवि ठाकुर और राजेंद्र राणा को भी 14वीं विधानसभा की पेंशन नहीं मिलेगी। इस संबंध में विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते रोज विधानसभा में विचार के लिए प्रस्तुत किया था, जिस पर विपक्षी दल भाजपा ने आज विरोध जताया और इसे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लाया गया विधेयक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। हालांकि सरकार ने विपक्ष की सभी

दलीलों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने पर प्रदेश की 14वीं विधानसभा या इसके बाद सदन में चुन कर आने वाले विधायक संशोधित कानून के दायरे में आएंगे। भाजपा के रणधीर शर्मा ने विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह विधेयक राजनीतिक बदले की भावना से लाया गया है लेकिन यह विधेयक कोर्ट में कहीं भी नहीं टिकेगा क्योंकि कोई भी विधेयक भविष्य के लिए होता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करना सही है, मगर इस काम के लिए पिछली तारीख में विधेयक नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कानून कोर्ट में जाता है तो वह कहीं भी नहीं टिकेगा और यह सदन का भी अपमान होगा।

विधेयक का समर्थन करते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह संशोधन विधेयक दल बदल को रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता में दल बदल का समर्थन करने का संदेश दे रही है जो सरासर गलत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये विधेयक कांग्रेस के लिए नहीं लाया गया है बल्कि उन लोगों के लिए है जो जनता की भावनाओं के विपरीत दल बदलते हैं। उन्होंने बिल का विरोध करने के लिए भाजपा की आलोचना भी की।

सत्र समाप्त

प्रदेश की 14वीं विधानसभा का बजट सत्र आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया। सत्र के समापन के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि बजट सत्र दो चरणों में आयेाजित किया गया जिसमें पहले चरण में 3 जबकि दूसरे चरण में 13 बैठकों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि बजट सत्र में सदन की कुल 16 बैठकें हुई, जिसकी कार्यवाही लगभग 90 घंटें तक चली। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र की उत्पादकता एक सौ 3 प्रतिशत रही।

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट सत्र में राजस्व घाटा अनुदान आर.डी.जी बंद होने के बाद प्रदेश में बजट का आकार कुछ कम करना पड़ा। बावजूद इसके प्रदेश के विकास को रूकने नहीं दिया जाएगा।

वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट सत्र को दो चरणों में करवा कर सरकार ने अपनी सुविधा का ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकती।

एंट्री टैक्स

एंट्री टैक्स को लेकर पंजाब की कुछ सीमाओं में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वाहनों के रेट कम रखे गए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए पास व्यवस्था शुरू की जा रही है जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हल्के वाहनों को सरकार ने टोल में छूट दी है, इसके अलावा अन्य श्रेणियों में दरें पिछले वर्ष की तरह ही रखने का निर्णय लिया है।

इस बीच प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स दरों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना भी जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन किया। इससे अब राज्य में सरकारी क्षेत्र में पहली बार पैट स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में तकनीकी उन्नयन के लिए 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में स्पैक्ट–सीटी स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए 8 करोड़ रुपये की भी घोषणा की।

सुरेश कश्यप

सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब का हवाला देते हुए उन्होनें कहा कि हिमाचल में करीब 17 लाख 8 हजार ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुरेश कश्यप ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हुए ऐतिहासिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया।

सिकंदर कुमार

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने बताया है कि केंदीय बजट 2026–27 में घोषित दिव्यांग सहारा योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा संसद में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और कौशल विकास को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी।